

आदेश

“उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता” योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 536.68 लाख(रू० पाँच करोड़ छत्तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-8/2019/467/53-2-19-44(बजट)/18 दिनांक 18 अप्रैल 2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू० 268.06 लाख(रू० दो करोड़ अड़सठ लाख छः हजार मात्र) को इस कार्यालय के पत्रांक-सी-42/दुग्ध-4/नियो०/उ०प्र०रा०दु०परि० वि०सहा०/2019-20 दिनांक 23 अप्रैल 2019 द्वारा धनराशि रू० 225.00 लाख एवं पत्रांक-सी-308/दुग्ध-4/नियो०/उ०प्र०रा०दु०परि० वि०सहा०/2019-20 दिनांक 15 जुलाई 2019 द्वारा धनराशि रू० 43.06 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू० 268.06 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि शासनादेश संख्या-806/53-2-19-44(बजट)/18 दिनांक 22 जुलाई 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू० 268.62 लाख(रू० दो करोड़ अरसठ लाख बाहसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस स्वीकृत धनराशि में से उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद लखनऊ की आवश्यकतानुसार रू० 252.28 लाख(रू० दो करोड़ बावन लाख अट्ठाईस हजार मात्र) को कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद, लखनऊ को उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस अवमुक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश में उल्लिखित मद/शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक “2404-डेरी विकास- 102-डेरी विकास परियोजनायें-10-उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद को वित्तीय सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)” के नामे डाला जायेगा।

(बाबू लाल मीना)

\* दुग्ध आयुक्त।

पत्रांक M-399/तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ०प्र० प्रयागराज।
- 2-सचिव, वित्त(व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 3-प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-विशेष सचिव, उ०प्र० राज्य दुग्ध परिषद लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश में उल्लिखित मद/शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 6-वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उ०प्र०, मुख्यालय।
- 7-आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ०प्र०, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि धनराशि का आहरण करना सुनिश्चित करें।
- 8-वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

Smt

27.8.19  
(शंकर लाल)  
उप दु०वि०अ०

संख्या-134  
दि०-20-8-19

(बाबू लाल मीना)

\* दुग्ध आयुक्त।